2025 का विधेयक संख्यांक 105

[दि टेक्सेसन लाज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 का हिन्दी पाठ]

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025

आय-कर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025

का और संशोधन

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 है । संक्षिप्त नाम ।

अध्याय 2

आय-कर अधिनियम, 1961 में संशोधन

1961 का 43 **2.** आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके पश्चात् इस अध्याय में आय-कर अधिनियम कहा गया है), धारा 10 में, 1, अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा— धारा 10 का संशोधन।

(क) खंड (12क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(12कक) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से किसी निर्धारिती, जो एकीकृत पेंशन स्कीम का अंशदाता है, को उनकी अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56 (त्र) के अधीन सेवानिवृत्ति का समय [जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है] के समय किया गया कोई ऐसा संदाय जैसा वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी की गई 24 जनवरी, 2025 की अधिसूचना एफ.संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर में यथापरिभाषित व्यष्टिक समग्र निधि के साठ प्रतिशत की सीमा तक से अधिक नहीं होगा ।

(12कख) एकीकृत पेंशन स्कीम के अंशदाता के रूप में किसी निर्धारिती द्वारा वित्तीय सेवा विभाग की तारीख 24 जनवरी, 2025 की अधिसूचना एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर के पैरा 2 के खंड (vi) के अनुसार एकमुश्त रकम के रूप में प्राप्त कोई राशि ;" ;

(ख) खंड (23 चङ) के स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और अंतःस्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) (i) सऊदी अरब साम्राज्य सरकार की लोक विनिधान निधि; और

(ii) सऊदी अरब साम्राज्य सरकार की लोक विनिधान निधि की पूर्णतः स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी, जो—

(क) सऊदी अरब साम्राज्य के निवासी हैं; और

(ख) उक्त सरकार के स्वामित्व वाली निधि में से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिधान कर रहे है।"।

धारा 16 का संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 16 के खंड (iक) के परंतुक में, "खंड (ii)" शब्द और कोष्ठक के पश्चात् "या खंड (iii)" शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित हुए समझे जाएंगे ।

धारा 80गगघ का संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी—

(क) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और अंतःस्थापित हुई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) जहां एकीकृत पेंशन स्कीम के अंशदाता के रूप में उपधारा (1) या उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट निर्धारिती के खाते में कोई जमा रकम, जिसके संबंध में उन उपधाराओं या उपधारा (2) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, उस पर प्रोद्भूत राशि सहित, यदि कोई हो, निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती द्वारा किसी पूर्व वर्ष में उसकी अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56(त्र) के अधीन सेवानिवृत्ति [जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन शास्ति नहीं माना जाता है] के कारण, पूर्णतः या आंशिक रूप से प्राप्त की

जाती है, जैसा लागू किया जाए वहां संपूर्ण राशि, यथास्थिति निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती की, उस पूर्व वर्ष की आय मानी जाएगी, जिसमें ऐसी राशि प्राप्त हुई है, और तदनुसार उस पर उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में कर प्रभार्य होगा :"।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और अंतःस्थापित हुई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(6) उपधारा (3क) के प्रयोजनों के लिए, यदि ऐसी राशि उसकी सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या यथा लागू [केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन मौलिक नियम 56(त्र) के अधीन सेवानिवृत्ति (जिसे शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है] के कारण व्यष्टिक समग्र निधि से पूल समग्र निधि में स्थानांतरित कर दी जाती है, तो यह माना जाएगा कि निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में कोई राशि प्राप्त नहीं की गई है ।";

(ग) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा और और प्रतिस्थापित समझा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "पूल समग्र निधि" और "व्यष्टिक समग्र निधि" का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर, तारीख 24 जनवरी, 2025 में है।"

(ii) "वेतन" के अंतर्गत महंगाई भत्ता आता है, यदि नियोजन के निबंधन इस प्रकार उपबंध करते हैं, किन्तु अन्य सभी भत्तों और परिलब्धियों का अपर्जन करता है।'।

अध्याय 3

वित्त अधिनियम 2025 का संशोधन

2025 का 7 **5.** वित्त अधिनियम, 2025 की धारा 49 मे खंड(ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 सितम्बर, 2024 से अंतःस्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात्: — धारा 49 का संशोधन ।

'(खक) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित रखी जाएगी,अर्थात् :—

"(2) (क) इस अधिनियम (इस अध्याय से भिन्न) के उपबंधों के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना, यदि कोई हो, ब्लॉक अवधि में आने वाले निर्धारण वर्ष से संबंधित, यथास्थिति धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने की तारीख पर लंबित, या धारा 132 क के अधीन अध्यपेक्षा पर उपशमन हो जाएगा और तलाशी आरंभ करने या अध्यपेक्षा की तारीख पर उपशमन हुआ माना जाएगा।

(ख) इस अधिनियम (इस अध्याय से भिन्न) के किन्हीं उपबधों के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के लिए कोई कार्यवाही, ब्लॉक अवधि (उस मूल्यांकन वर्ष से भिन्न जिसमें तलाशी के लिए अंतिम

प्राधिकरण निष्पादित किया गया है या अध्यपेक्षा की गई है) में आने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष से संबंधित है, जिसके लिए धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 132 क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख से आरंभ होने वाली और धारा 158 खग की उपधारा(1) के खंड (ग) के अधीन आदेश देने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान नोटिस जारी किया गया है, उपशमन हो जाएगा और ऐसे नोटिस के जारी होने की तारीख को उपशमन हुआ माना जाएगा।'।

उद्देशों और कारणों का कथन

भारत सरकार ने आय-कर अधिनियम के माध्यम से सऊदी अरब सरकार को कतिपय प्रत्यक्ष कर मे कतिपय प्रसुविधाएँ प्रदान करने कर लिए समझौता किया है। इसके साथ ही एकीकृत पेंशन योजना को वर्ष 2025 में लागू किया गया है और इसके अंशदाताओं को कतिपय भुगतान के संबंध में आय-कर में कुछ छूट प्रदान करना अपेक्षित है। इसके अलावा, खोज मामलों के ब्लॉक निर्धारण की स्कीम में कुछ बदलाव करना भी अपेक्षित है ताकि इसे सही तरीके से लागू किया जा सके।

तदनुसार, आय-कर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन के माध्यम से उपरोक्त निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 तैयार किया गया है।

नई दिल्ली;
10 अगस्त, 2025.

निर्मला सीतारामन

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक का उद्देश्य आय-कर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन करना है, ताकि उक्त अधिनियम को प्रशासित करने में हो रहे व्यय के अतिरिक्त, इस विधेयक के पारित होने मात्र से कोई अतिरिक्त महत्वपूर्ण व्यय अपेक्षित न हो।

उपाबंध

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 43) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

अध्याय 3

आय जो कुल आय का भाग नहीं है

10. किसी व्यक्ति की किसी पूर्ववर्ष की कुल आय संगणित करने में निम्नलिखित खण्डों में से किसी में आने वाली कोई आय उसमें सम्मिलित नहीं की जाएगी— आय जो कुल आय के अन्तर्गत नहीं आती है ।

*   *   *   *   *   *

(23चङ) किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की भारत में उसके द्वारा किए गए किसी विनिधान से उद्भूत होने वाले लाभांश, ब्याज, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में निर्दिष्ट कोई राशि या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की प्रकृति की कोई आय, चाहे वह ऋण के रूप में हो या शेयर पूंजी या यूनिट के रूप में हो, यदि विनिधान–

(i) 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2025 से पहले किया गया है;

(ii) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए धारित किया गया है; और

(iii) (क) धारा 2 के खंड (13क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी कारबार न्यास में किया गया है; या

(ख) धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित विकास, या प्रचालन और रखरखाव या किसी अवसंरचना सुविधा के विकास, प्रचालन और रखरखाव का कारबार करने वाली किसी कंपनी या उद्यम या किसी अस्तित्व में या ऐसे अन्य कारबार में, किया गया है जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे; या

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित मद (ख) या मद (घ) या मद (ङ) में या धारा 2 के खंड (13क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट कोई अवसंरचना विनिधान न्यास निर्दिष्ट एक या अधिक कम्पनी या उद्यम या अस्तित्व कम से कम पचास प्रतिशत विनिधान करने वाली प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 की अनुकल्पिक विनिधान निधि में किया गया है :

(घ) 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् गठित और रजिस्ट्रीकृत देशी कंपनी, जिसका न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत विनिधान मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में है ; या

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना सं0 आरबीआई/2009-10/316 में निर्दिष्ट "अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी - "अवसंरचना

ऋण निधि गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश,2011" में निर्दिष्ट परिभाषित "अवसंरचना ऋण निधि में गैर-बैंककारी वित्त कंपनी में", जिसका न्यूनतम नब्बे प्रतिशत उधार मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या अस्तित्वों के लिए है ; या

परंतु यदि इस खंड के उपबंधों के निर्वचन या कार्यान्वयन के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो, बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन जारी प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धांत संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और वह आय-कर प्राधिकारी तथा विनिर्दिष्ट व्यक्ति पर बाध्यकर होगा :

परंतु यह भी कि जहां कोई आय इस खंड के उपबंधों के कारण, विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं की गई है और तत्पश्चात् किसी पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्ति इस खंड की किन्हीं शर्तों का समाधान करने में इस प्रकार असफल रहता है इसलिए उक्त आय ऐसे सम्मिलित न किए जाने के लिए पात्र नहीं होगी, ऐसी आय, उस पूर्व वर्ष के विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी ।

परन्तु यह भी कि यदि उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट प्रवर्ग-1 या प्रवर्ग-2 वैकल्पिक विनिधान निधि की दशा में उक्त उपखंड की मद (ख) या मद (घ) या मद (ङ) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या अस्तित्वों में या उक्त उपखंड की मद (ग) में निर्दिष्ट अवसंरचना विनिधान न्यास में सौ प्रतिशत से कम विनिधान रखती है, ऐसे विनिधान के कारण, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, उद्भूत या हुई या प्राप्त मानी जा सकने वाली आय, जो इस खंड के अधीन छूट प्राप्त है, का परिकलन उक्त उपखंड की मद (ख) या मद (घ) या मद (ङ) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या अस्तित्वों या उक्त उपखंड की मद (ग) में निर्दिष्ट अवसंरचना विनिधान निधि में किए गए विनिधान तक के अनुपात में ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए :

परन्तु यह भी कि यदि उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट देशी कंपनी उक्त उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में सौ प्रतिशत से कम विनिधान रखती है, तो ऐसे विनिधानों के कारण, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उद्भूत या हुई या प्राप्त मानी जा सकने वाली आय जो इस खंड के अधीन छूट प्राप्त है, का परिकलन उक्त उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में किए गए विनिधान के अनुपात में उस रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए :

परन्तु यह भी कि यदि उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी, या अवसंरचना ऋण निधि, उक्त उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में सौ प्रतिशत से कम उधार दिया है, ऐसे विनिधान

के मद्दे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उद्भूत या हुई या प्राप्त हुई मानी जा सकने वाली आय, जो इस खंड के अधीन छूट प्राप्त है, की संगणना उक्त उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट कंपनियों या उद्यमों या निकायों में दिए गए उधार के अनुपात में ऐसी रीति में की जाएगी जो विहित की जाए :

परन्तु यह भी कि यदि स्वयंभू धन निधि या पेंशन निधि में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: भारत में विनिधान करने के प्रयोजन के लिए ऋण या उधार हैं, तो ऐसी निधि को इस खंड के अधीन छूट के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा ।]

स्पष्टीकरण (1)–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(क) आबू धाबी विनिधान प्राधिकरण की पूर्णत: स्वामित्वाधीन समनुषंगी, जो–

(i) संयुक्त अरब अमीरात की निवासी है; और

(ii) जो आबू धाबी की सरकार के स्वामित्वाधीन निधि से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: विनिधान करती है;

(ख) ऐसी संप्रभु धन निधि, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात्:–

(i) वह विदेशी सरकार के प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: पूर्णत: स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन है;

(ii) उसे ऐसी विदेशी विधि के अधीन स्थापित और विनियमित किया गया है;

(iii) उक्त निधि के अर्जन या तो उस विदेशी सरकार के खाते में या उस सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य खाते में जमा किए जाते हैं जिससे अर्जनों का कोई भाग किसी प्राइवेट व्यक्ति के फायदे को लागू नहीं होता है;

(iv) विघटन पर उक्त निधि की आस्ति ऐसी विदेशी सरकार में निहित हो गई है;

परन्तु उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के उपखंड भारत में विनिधान करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण या उधार देने हेतु उधार लेने वालों या जमाकर्ताओं को किए गए किसी संदाय को लागू नहीं होंगे ;

(v) वह भारत के भीतर या भारत से बाहर, कोई वाणिज्यिक क्रियाकलाप, नहीं किया करती है; और

(vi) उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए और ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ग) कोई पेंशन निधि, जो–

(i) किसी विदेशी देश की विधि, के अधीन, जिसके अंतर्गत उसके किन्हीं राजनैतिक घटकों द्वारा, जो कोई प्रांत, राज्य या

स्थानीय निकाय हैं, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हों, द्वारा बनाई गई विधियां भी है, के सृजित या स्थापित की गई है;

(ii) उस विदेश देश में कर की दायी नहीं है; या यदि कर का दायी है तो उसकी सभी आय के लिए कर से छूट का ऐसे दूसरे देश द्वारा उपबंध किया गया है'

(iii) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है, जो विहित की जाएं;

(iiiक) वह विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग नहीं लेता है, किंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के पास विनिधान के संरक्षण के लिए मानीटरी तंत्र, जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति करने का अधिकार भी है, विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेना नहीं माना जाएगा ; और"

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस प्रयोजन के लिए और ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए विनिर्दिष्ट है।

*   *   *   *   *   *

वेतन कटौतियां।

16. "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना निम्नलिखित कटौतियां करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :—

(iक) पचास हजार रुपए की कटौती या वेतन की रकम, जो भी कम हो ।

परंतु उस दशा में जहां आय-कर की संगणना धारा 115खकग की उपधारा (1क) के खंड (ii) के अधीन की जाती है, वहां इस खंड के उपबंधों का वही प्रभाव होगा, मानो यदि "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचहत्तर हजार रुपए" शब्द रखे गए हों;

*   *   *   *   *   *

केन्द्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती ।

80गगघ. (1)   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" के अंतर्गत, यदि नियोजन के निबंधनों में ऐसा उपबंध हो तो मंहगाई भत्ता है, किन्तु सभी अन्य भत्ते और परिलब्धियां अपवर्जित हैं ।

*   *   *   *   *   *

तलाशी के परिणामस्वरूप अप्रकटित आय का निर्धारण ।

158खक. (1)   *   *   *   *   *

(2) ब्लाक अवधि से संबंधित कुल अप्रकटित आय को कर से धारा 113 में विनिर्दिष्ट दर पर, उस पूर्ववर्ष या वर्षों का, जिससे या जिनसे ऐसी आय संबंधित है, ध्यान रखे बिना और उस तथ्य का कि सुसंगत निर्धारण वर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए नियमित निर्धारण लंबित है या नहीं, ध्यान रखे बिना, ब्लाक अवधि की आय के रूप में प्रभारित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) इस अध्याय के अधीन किया गया निर्धारण, ब्लाक अवधि में सम्मिलित

प्रत्येक पूर्व वर्ष की बाबत नियमित निर्धारण के अतिरिक्त होगा ;

(ख) किसी ब्लाक अवधि से संबंधित कुल अप्रकटित आय में ऐसी ब्लाक अवधि की आय के रूप में किसी नियमित निर्धारण में निर्धारित आय सम्मिलित नहीं होगी ;

(ग) इस अध्याय में निर्धारित आय को ब्लाक अवधि में सम्मिलित किसी पूर्ववर्ष के नियमित निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।]

*   *   *   *   *   *

49. आय-कर अधिनियम की धारा 158खक में 1 सितंबर, 2024 से,— धारा 158खक का संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्ष में, "कुल आय" शब्दों के स्थान पर, "कुल अप्रकटित आय" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) में, "कुल आय" शब्दों के स्थान पर, "कुल अप्रकटित आय" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में, "लंबित" शब्द के स्थान पर, "किया जाना अपेक्षित" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (5) में, "किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण" शब्दों के स्थान पर, "किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनः संगणना या निर्देश या आदेश" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (7) में, "कुल आय" शब्दों के स्थान पर, "कुल अप्रकटित आय" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ।

*   *   *   *   *   *